

मैनुअल संख्या-08

ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में की क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

a

ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति हैं इस बारे में राजिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए के लिए की क्या उ गठन किया गया है और इस बारे में की क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों के जनता के लिए खुली और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी के जनता की पहुंच होगी, बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होंगी, विवरण

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-182/XXXVI (3)/2018/21(1)/2018 दिनांक 12 अप्रैल, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना ताी संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों एवं अकादमियों की व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 का पारित किया गया है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) के अध्याय-2 धारा-3 द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-424/XXXIX/2020-10 (सा0)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान का गठन किया गया।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय 2 प्रस्तर 4 एवं 5 के द्वारा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबन्धकार्यकारिणी समिति की संरचना की गयी है।

साधारण सभा समिति

भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 401/XXXIX/2022-07(सा0) /2018 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :-

- | | |
|---|--------------------------|
| (क) मा. मुख्यमंत्री | अध्यक्ष (पदेन) |
| (ख) मा. भाषा मंत्री | कार्यकारी अध्यक्ष (पदेन) |
| (ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति | उपाध्यक्ष |
| (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन) |
| (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन) |
| (च) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन) |
| (छ) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन) |
| (ज) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के निम्न दो विश्वविद्यालय के कुलपति :- | |
| 1. डॉ० सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून। | |
| 2. प्रो० दिनेश चन्द्र शास्त्री, कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार। | सदस्य |
| (झ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के निम्नलिखित 12 भाषाविद् एवं संबंधित विषयों के साहित्यकार :- | सदस्य |



क्र.सं.	हिन्दी भाषा के साहित्यकार
1	डॉ. सुधा रानी पांडेय, म0न0-05, लेन-10, ऐक्सटेंशन मोहित नगर, देहरादून।
2	डॉ. हरिसुमन बिष्ट, पूर्व सचिव, मैथली, भोजपुरी अकादमी, आपूर्तिभवन 7-9 आरामबाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली।
3	प्रो. ट. देवतह सिंह पोखरिया, ग्राम-डांगटी, पट्टी-अस्कोट, तहसील-डीडीहाट, जनपद-पिथौरागढ़।
4	प्रो. नवीन चन्द्र लोहानी, हिन्दी विभाग, चौधरी चरन सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र.।
5	प्रो. मृदुला जुगरान, हिन्दी विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल, विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
6	डॉ. अतुल शर्मा, जनकवि, 55, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
उत्तराखण्ड के लोकभाषा के साहित्यकार	
1	प्रो. डी.आर. पुरोहित, अध्यक्ष, नाट्य कला विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
2	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, पौड़ी गढ़वाल।
3	डॉ. हयात सिंह रावत, सम्पादक, पहरू, इन्द्रसदन, सुनारीनौला, अल्मोड़ा।
4	श्री कौस्तुभानंद चंदौला, 529/229, पंतनगर कॉलोनी, सुरमनगर, लखनऊ।
उर्दू भाषा के साहित्यकार	
1	श्री अम्बर खरबंदा, साहित्यकार, 18/सी. मोहनी रोड़, देहरादून।
पंजाबी भाषा के साहित्यकार	
1	डॉ. इन्द्रजीत सिंह, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, हाथीबड़कला, देहरादून।

- (ज) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी सदस्य (पदेन)
 (ट) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान सदस्य (पदेन)
 (ठ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान सदस्य सचिव (पदेन)

- 2-(क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगी।
- (ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।
- (ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

प्रबन्धकार्यकारिणी समिति

भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 400/XXXIX/2022-07(सा0) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :-

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) अध्यक्ष | मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड |
| (2) कार्यकारी अध्यक्ष | प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन |
| (3) सदस्य | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन |
| (4) सदस्य | प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन |
| (5) सदस्य | प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन |
| (6) सदस्य | सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी |
| (7) सदस्य | उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित संस्थान में साहित्यकारों में से निम्नलिखित तीन (03) साहित्यकार :- |

क्र.सं.	साहित्यकारों का नाम एवं पता
1	डॉ. सुधा रानी पांडेय, म0न0-05, लेन-10, ऐक्सटेंशन मोहित नगर, देहरादून।
2	डॉ. अतुल शर्मा, जनकवि, 55, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
3	श्री अम्बर खरबंदा, साहित्यकार, 18/सी. मोहनी रोड़, देहरादून।

- (8) सदस्य - वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

2-(क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर सदस्य नहीं रहेगा।

(ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, अनुमोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाये अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिये न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

उत्तराखण्ड शासन
भाषा विभाग

संख्या-40/XXXIX/2022-07(सा0)/2018
देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2022

विज्ञप्ति
(विविध)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय-2, धारा-4 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- | | |
|--|---------------------------|
| (क) मा0 मुख्यमंत्री | अध्यक्ष (पदेन); |
| (ख) मा0 भाषा मंत्री | कार्यकारी अध्यक्ष (पदेन); |
| (ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति | उपाध्यक्ष; |
| (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन); |
| (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन); |
| (च) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन); |
| (छ) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य (पदेन); |
| (ज) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के निम्न दो विश्वविद्यालय के कुलपति:- | |
| 1- डा0 सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून। | |
| 2- प्रो0 दिनेश चन्द्र शास्त्री, कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार। | सदस्य ; |
| (झ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के निम्नलिखित 12 भाषाविद् एवं संबंधित विषयों के साहित्यकार:- | सदस्य ; |

क्र.सं.	हिन्दी भाषा के साहित्यकार
1	डॉ. सुधा रानी पांडेय, म0न0 05-लेन 10 ऐक्सटेंशन मोहित नगर देहरादून।
2	डॉ. हरिसुमन बिष्ट, पूर्व सचिव, मैथिली, भोजपुरी अकादमी, आपूर्तिभवन 7-9 आरामबाग, पहाड़गंज, नई दिल्ली।
3	प्रो. देव सिंह पोखरिया, ग्राम-डांगटी, पट्टी-अस्कोट तहसील-डीडीहाट, जनपद-पिथौरागढ़।
4	प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी, हिन्दी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ. प्र.।
5	प्रो. मृदुला जुगरान, हिन्दी विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
6	डॉ. अतुल शर्मा, जनकवि, 55, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
उत्तराखण्ड के लोकभाषा के साहित्यकार	
1	प्रो. डी.आर. पुरोहित, अध्यक्ष, नाट्य कला विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
2	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, पौड़ी गढ़वाल।
3	डॉ. हयात सिंह रावत, सम्पादक, पहरू, इन्द्रसदन, सुनारीनौला, अल्मोड़ा।
4	श्री कौस्तुभानंद चंदोला, 529/229, पंतनगर कालोनी, सुरमनगर, लखनऊ।
उर्दू भाषा के साहित्यकार	
1	श्री अम्बर खरबंदा, साहित्यकार, 18/सी, मोहनी रोड, देहरादून।
पंजाबी भाषा के साहित्यकार	
1	डॉ. इन्द्रजीत सिंह, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, हाथीबड़कला, देहरादून।

- (ज) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
(ट) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
(ठ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान

सदस्य (पदेन);
सदस्य (पदेन);
सदस्य सचिव (पदेन)।

2-(क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा।

(ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिये न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

(विनोद प्रसाद स्तूड़ी)
सचिव।

संख्या- ५०१ (१) / xxxix/2022-07(सा०) / 2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० भाषा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निम्बूवाला, कौलागढ़, देहरादून।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ ऑफिसर- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
7. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. संबंधित सदस्य।
9. निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

h

आज्ञा से,
30-9-22
(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

भाषा विभाग

संख्या-400/xxxix/2022-07(सा0)/2018

देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2022

विज्ञप्ति

(विविध)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 के अध्याय-2, धारा-5 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- (1) अध्यक्ष- मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड;
 (2) कार्यकारी अध्यक्ष- प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
 (3) सदस्य- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
 (4) सदस्य- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन;
 (5) सदस्य- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
 (6) सदस्य- सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी;
 (7) सदस्य- उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित संस्थान में साहित्यकारों में से निम्नलिखित तीन (03) साहित्यकार:-

क.सं.	साहित्यकारों के नाम एवं पता
1	डॉ. सुधा रानी पांडेय, म0न0 05-लेन 10 ऐक्सटेंशन मोहित नगर देहरादून।
2	डॉ. अतुल शर्मा, जनकवि, 55, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
3	श्री अम्बर खरबंदा, साहित्यकार, 18/सी, मोहनी रोड, देहरादून।

- (8) सदस्य- वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

2-(क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा।

(ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिये न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

6

पत्र प्राप्ति सं. 299
 पत्रावली सं.
 पत्र प्राप्ति तिथि: 30/09/22


(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
 सचिव।

संख्या- ५००(1)/xxxix/2022-07(सा0)/2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 भाषा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निम्बूवाला, कौलागढ़, देहरादून।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ ऑफिसर- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
7. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. संबंधित सदस्य।
9. निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।



आज्ञा से,

(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव।